फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री भंवरलाल राजपुरोहित
निवासी पावटी, दोरड़ा
जसवन्तपुरा
जिला जालोर।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 20 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 17.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिलदर के राजस्व ग्राम सिलदर के खसरा संख्या 1231 की किस्म / क्षेत्रफल / मिलान क्षेत्रफल / नया खसरा नम्बर / पुराना खसरा नम्बर एवं मौका रिपोर्ट सहित सम्पूर्ण विवरण की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 17.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिलदर के राजस्व ग्राम सिलदर के खसरा संख्या 1231 की किस्म / क्षेत्रफल / मिलान क्षेत्रफल / नया खसरा नम्बर / पुराना खसरा नम्बर एवं मौका रिपोर्ट सहित सम्पूर्ण विवरण की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना दिया जाना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	